हिन्दी दैनिक

R.N.I.;UPHIN/2012/42725

हिन्दुस्तान का इतिहास

कानपुर से प्रकाशित

वर्ष : 10 अंक : 80 हिन्दी दैनिक | कानपुर बुधवार,21 जुलाई ,2021 | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2 रुपये

देश के प्रथम जैव संवर्धित गांव अनूपपुर में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक

कानपुर——हिन्दुस्तान का इतिहास—— चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा गोद लिए गए देश के प्रथम जैव संवर्धित ग्राम अनूपपुर में प्रदेश की कुलाधिपति, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के क्रम में जैव संवर्धित गांव अनूपपुर में स्थापित महिला अध्ययन केंद्र में न्याय दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कुलपति डॉ डी. आर. सिंह के मार्ग दर्शन में केंद्र की अध्यक्षा व कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर की गृह वैज्ञानिक डॉ मिथिलेश वर्मा व प्रशिक्षण सहायक डॉ. निमिषा अवस्थी द्वारा किया गया कार्यक्रम की शुरुआत डॉ मिथिलेश वर्मा ने महिलाओं को उनके 10 न्यायिक अधिकारों में बारें में जानकारी देकर की डॉ वर्मा ने बताया कि महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है साथ ही कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ न्याय का अधिकार है पुत्री को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है और पत्नी को पति व अन्य की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने व न्याय पाने का पूर्ण अधिकार तो है ही साथ ही पति की आय पर भी अधिकार है अगर किसी कारणवश कोई पत्नी पति से अलग होती है। तो उसे पति की आधी आय गुजारा भत्ता के रूप में पाने का अधिकार है इसी के साथ डॉ मिथिलेश ने कहा कि महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करने से ज्यादा गुनाहगार अन्याय सहने वाला होता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉ निमिषा अवस्थी ने कहा कि न्याय की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है पुराने काल से ही यदि कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो उसे न्याय प्रक्रिया के द्वारा सजा दी जाती है और समाज को संदेश दिया जाता हैं कि अन्याय करने का दंड भुगतना पड़ेगा अतः समाज में संतुलन बनाएं रखने के लिए न्याय की व्यवस्था अति आवश्यक है साथ ही यह भी बताया कि महान और बहादुर लोग ही न्याय के लिए खड़े होते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय का समर्थन करते हैं और ईश्वर अन्याय करने वाले अन्याय करने वाले का सहयोग करने वाले और अन्याय का समर्थन करने वालों को दंड जरूर देता हैं इसलिए हमें किसी के साथ अन्याय न करना चाहिए न ही सहन करना चाहिए कार्यक्रम में अनूपपुर ग्राम की 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया कार्यक्रम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं सुषमा पाल, शालिनी, कमला सिंह, रीना यादव व रमा देवी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई।

उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश का प्रथम द्विभाषीय (हिन्दी-अंग्रेजी) सांध्य दैनिक समाचार पत्र

जनमत टुडे

RNI-NO-UTTBIL/2007/20700

3 अव्यवस्थाओं का ठिकाना बना दून अस्पताल

वर्ष:12 | अंक:200 | देहरादून, मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 | पृष्ठ:08 | मूल्य:2/रु. प्रति

महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

दीपक गौड़ (जनमत टुडे)

कानपुर: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा गोद लिए गए देश के प्रथम जैव संवर्धित ग्राम अनूपपुर में प्रदेश की कुलाधिपति, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के क्रम में जैव संवर्धित गांव अनूपपुर में स्थापित महिला अध्ययन केंद्र में न्याय दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कुलपति डॉ डी. आर. सिंह के मार्ग दर्शन में केंद्र की अध्यक्षा व कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर की गृह वैज्ञानिक डॉ मिथिलेश वर्मा व प्रशिक्षण सहायक डॉ. निमिषा अवस्थी द्वारा किया गया कार्यक्रम की शुरुआत डॉ मिथिलेश वर्मा ने महिलाओं को उनके 10 न्यायिक अधिकारो में बारे में जानकारी देकर की डॉ वर्मा ने बताया कि महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है साथ ही कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ न्याय का अधिकार है पुत्री को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है और पत्नी को पति व अन्य की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने व न्याय पाने का पूर्ण अधिकार तो है ही साथ ही पति की आय पर भी अधिकार है अगर किसी कारणवश कोई पत्नी पति से अलग होती है। तो उसे पति की आधी आय गुजारा भत्ता के रूप में पाने का अधिकार है इसी के साथ डॉ मिथिलेश ने कहा कि महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करने से ज्यादा गुनाहगार अन्याय सहने वाला होता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉ निमिषा अवस्थी ने कहा कि न्याय की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना जाता हैं पुराने काल से ही यदि कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो उसे न्याय प्रक्रिया के द्वारा सजा दी जाती है और समाज को संदेश दिया जाता है कि अन्याय करने का दंड भुगतना पड़ेगा अतः समाज में संतुलन बनाएं रखने के लिए न्याय की व्यवस्था अति आवश्यक है साथ ही यह भी बताया कि महान और बहादुर लोग ही न्याय के लिए खड़े होते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय का समर्थन करते हैं और ईश्वर अन्याय करने वाले अन्याय करने वाले का सहयोग करने वाले और अन्याय का समर्थन करने वालों को दंड जरूर देता हैं इसलिए हमें किसी के साथ अन्याय न करना चाहिए न ही सहन करना चाहिए कार्यक्रम में अनूपपुर ग्राम की 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया कार्यक्रम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं सुषमा पाल, शालिनी, कमला सिंह, रीना यादव व रमा देवी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई।

जैव संवर्धित गांव में महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

21/07/2021

कानपुर, 20 जुलाई (निस)। सीएसए द्वारा गोद लिए गए देश के प्रथम जैव संवर्धित ग्राम अनूपपुर में प्रदेश की कुलाधिपति/ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के क्रम में जैवसंवर्धित गांव अनूपपुर में स्थापित महिला अध्ययन केंद्र में न्याय दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कुलपति डॉ. डी आर. सिंह के मार्ग दर्शन में केंद्र की अध्यक्षा व कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर की गृह वैज्ञानिक डॉ मिथिलेश वर्मा व प्रशिक्षण सहायक डॉ. निमिषा अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. मिथिलेश वर्मा ने महिलाओं को उनके 10 न्यायिक अधिकारों में बारें में जानकारी देकर की। डॉ वर्मा ने बताया कि महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है साथ ही कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ न्याय का अधिकार है। पुत्री को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, और पत्नी को पति व अन्य की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने व न्याय पाने का पूर्ण अधिकार तो है ही साथ ही पति की आय पर भी अधिकार है।अगर किसी कारणवश कोई पत्नी पति से अलग होती है। तो उसे पति की आधी आय गुजारा भत्ता के रूप में पाने का अधिकार है। इसी के साथ डॉ मिथिलेश ने कहा कि महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करने से ज्यादा गुनाहगार अन्याय सहने वाला होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉ निमिषा अवस्थी ने कहा कि न्याय की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना जाता हैं । पुराने काल से ही यदि कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो उसे न्याय प्रक्रिया के द्वारा सजा दी जाती हैं। और समाज को संदेश दिया जाता हैं कि अन्याय करने का दंड भुगतना पड़ेगा। अत: समाज में संतुलन बनाएं रखने के लिए न्याय की व्यवस्था अति आवश्यक हैं। साथ ही यह भी बताया कि महान और बहादुर लोग ही न्याय के लिए खड़े होते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय का समर्थन करते हैं और ईश्वर अन्याय करने वाले, अन्याय करने वाले का सहयोग करने वाले और अन्याय का समर्थन करने वालों को दंड जरूर देता हैं। इसलिए हमें किसी के साथ अन्याय न करना चाहिए न ही सहन करना चाहिए। कार्यक्रम में अनूपपुर ग्राम की 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं श्रीमती सुषमा पाल, शालिनी, कमला सिंह, रीना यादव व रमा देवी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई।

साप्ताहिक विशेष रेल
वृद्धि एवं अतिरिक्त
गाड़ी सं. 04141/04142 प्रया
ग्रीष्मकालीन विशेष रेलग
गाड़ी सं. 04141

21 july_jan express.pdf - Read-only

लखनऊ, बुधवार, 21 जुलाई, 2021, वर्ष - 12, अंक - 274, पृष्ठ - 12, मूल्य ₹3.00/-

www.janexpresslive.com/epaper

/janexpresslive

जन एक्सप्रेस

ईद-उल-अजहा मुबारक

लखनऊ तथा देहरादून से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

न्याय दिवस के उपलक्ष्य में 'जागरूकता गोष्ठी' आयोजित

जन एक्सप्रेस संवाददाता

कानपुर नगर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के क्रम में सीएसएयू द्वारा गोद लिए गए जैव संवर्धित गांव अनूपपुर में स्थापित महिला अध्ययन केंद्र मे न्याय दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कुलपति डॉ.डी.आर सिंह के मार्गदर्शन में डॉ. मिथिलेश वर्मा और डॉ.निमिषा अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉ.मिथिलेश वर्मा ने महिलाओं को उनके 10 न्यायिक अधिकारों में बारें में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है उन्हें कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ न्याय का अधिकार है पुत्री को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है और पत्नी को पति व अन्य की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने तथा न्याय पाने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने बताया कि पति की आय पर भी पत्नी का अधिकार है किसी कारण वश पत्नी के पति से अलग होने पर पत्नी को पति की आधी आय गुजारा भत्ता के रूप में पाने का अधिकार है उन्होंने कहा कि महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए अन्याय करने से ज्यादा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। इस अवसर पर डॉ. निमिषा अवस्थी ने कहा कि न्याय की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना जाता हैं । पुराने काल से ही यदि कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो उसे न्याय प्रक्रिया के द्वारा सजा दी जाती हैं ताकि समाज को संदेश मिल सके कि अन्याय करने का दंड भुगतना पड़ेगा।

कार्यक्रम में अनूपपुर गाव की 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में शिक्षिकाओं में सुषमा पाल, शालिनी, कमला सिंह, रीना यादव, रमा देवी मौजूद रही।

महिला वैज्ञानिकों ने बताए अधिकार

महिलाओं को जानकारी देतीं महिला वैज्ञानिक डॉ. मिथलेश वर्मा। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

शिवली। अनूपपुर में स्थापित महिला अध्ययन केंद्र में न्याय दिवस के मौके पर जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें महिला वैज्ञानिकों ने महिलाओं से जुड़े अधिकारों व कानून की जानकारी दी।

अनूपपुर जैवसंवर्धित गांव है। सीएसए ने यह गांव गोद लिया है। सीएसए के कुलपति डॉ. डीआर सिंह के निर्देशन में केंद्र की अध्यक्ष व कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर की गृह वैज्ञानिक डॉ. मिथिलेश वर्मा ने प्रशिक्षण सहायक डॉ. निमिषा अवस्थी के सहयोग से गोष्ठी का आयोजन किया। यहां महिलाओं को न्यायिक अधिकारों में बारे में जागरुक किया गया।

डॉ. मिथलेश ने बताया कि महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है। साथ ही कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी अधिकार मिला है। पुत्री को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। पत्नी को पति व अन्य की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने व न्याय पाने का अधिकार कानून में मिला है। वहीं, पत्नी का पति की आय पर भी अधिकार है। अगर किसी कारणवश कोई पत्नी पति से अलग होती है, तो उसे पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। दस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गोष्ठी में प्रतिभाग किया। सुषमा पाल, शालिनी, कमला सिंह, रीना यादव व रमा देवी मौजूद रहीं।

जैव संवर्धित गांव में महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक